

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- प.लेखा 9(7)(1)/वि.चि.ब./अभि./2015/ 3773

दिनांक :- 21-3-17

प्रेषितः


सहायक निदेशक अभियोजन,
चूरु

विषय :- श्री नौरतमल प्रजापत अभियोजन अधिकारी के कैंसर के ईलाज से संबंधित बिलों के पुनर्भरण के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 में चिकित्सा व्यय मद में अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक: लेखा/2017/190 दिनांक 30.01.2017

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्राप्त मांग के आधार पर श्री नौरतमल प्रजापत अभियोजन अधिकारी के कैंसर के ईलाज से संबंधित बिलों के पुनर्भरण के लिये वर्ष 2016-17 में बजट मद 2014-00-114-(02)(01)04. चिकित्सा व्यय (आयोजना भिन्न) में राशि रू 18,10,591/- (अक्षरे अट्ठारह लाख दस हजार पाँच सो इक्यानबे मात्र) का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

उक्त आवंटित बजट का राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करावें। यह बजट आवंटन वित्त विभाग आई.डी. क्रमांक 101701271 दिनांक 16.03.17 से प्राप्त सहमति के क्रम में किया जा रहा है।


(अशवन्त भारद्वाज)
अतिरिक्त, निदेशक अभियोजन,
(न्याय)
राजस्थान जयपुर